...रा सं. 2753 तक पहुचने का रास्ता ही एकमात्र रास्ता होने से राशि जमा करवाकर आम ... किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादी पैरोकार ने अपने जवाब/रिपोर्ट ...किया है कि प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट–अ में जो रास्ता दर्शाया गया है व खसरा सं. 2754 का हिस्सा ... खसरा नं. 2754 रकबा 5 बीघा रामदेव आत्मज कल्याण नाथ बाबाजी मानपुरा खातेदार दर्ज है। ...ये रास्ते की लम्बाई दर्ज गैर मुमकिन सिवायचक रास्ते 2756 में से खसरा नं. 2753 तक की पश्चिमी ...तक 3 जरीब 7 गठ्ठा यानि 244 फीट है। इसी खसरा नं. 2754 में से जहां पर रास्ता दिया जाना ...चित है, उसकी लम्बाई गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक 2756 में से 2 जरीब 6 गठ्ठे यानि 171 फीट है। ...मौके पर खसरा नं. 2754 का खातेदार खसरा नं. 2755 पर काबिज है व खसरा नं. 2755 का खातेदार 2754 पर काबिज है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे रास्ते के स्थान पर प्रस्तावित रास्ता की दुरी कम होने से प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 171 फीट व चौडाई 13 फीट जिसका क्षेत्रफल 2223 वर्गफीट लगभग 3 बिस्वा है।

हमने प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, रिपोर्ट रास्ता का अवलोकन किया तथा प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा चरण सं. 1 में वर्णित भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा सं. 2756 आम रास्ते से होते हुये वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा सं. 2754 के उत्तरी मेड़ के सहारे खसरा सं. 2754 में होता हुआ खसरा सं. 2753 में पहुंचता है, अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है तथा प्रार्थना–पत्र के सम्बंध में जमाबन्दी खाता सं. 3 ग्राम बांसी पेश की है, जिसके प्रार्थीगण खातेदार कृषक है। खाता सं. 550 की नकल पेश की है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 खसरा नं. 2754 रकबा 5 बीधा का खातेदार दर्ज है। 251–क आर.टी.एक्ट. के प्रावधानों में प्रार्थी की खातेदारी के खेत पर पहुंचने हेतु सबसे कम दुरी के रास्ते का उपयोग में होना माना गया है। तहसीलदार नैंनवां ने प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 244 फीट सिवायचक खसरा नं. 2756 से 2753 की 244 फीट बताई है। जबकि इसी खसरा नं. 2754 में से जहां पर रास्ता दिया जाना उचित है उसकी लम्बाई गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक 2756 में से 2 जरीब 6 गठ्ठे यानि 171 फीट बताई है तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेश पैश किया है। इस स्थिति में प्रस्तावित नक्शा ट्रेश को इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग मानते हुये परिशिष्ट–'क' नाम दिया गया है, व प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 171 फीट है, के अनुसार जो प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा सं. 2753 पर पहुंचने के लिये मुताबित नक्शा ट्रेश रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित ग्राम बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 603 के अनुसार भूमि खसरा सं. 2747, 2753 कुल किता 2 कुल 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी के आने जाने, कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु परिशिष्ट–'क' नक्शा ट्रेश अनुसार 13 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ते की लम्बाई 171 फीट एवं चौड़ाई 13 फीट जिसका क्षेत्रफल 2223 वर्गफीट लगभग 3 बिस्वा है, की कीमत वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना कीमत राजकोष में जमा करने के पश्चात् रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता उक्तानुसार बहाल किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2020.02.29 13:14:32 IST
Reason: SelfAttested